		(ब) स्वरोजगार हेतु कौशल उन्नयन प्रशिक्षण – लाभर्थियों को विभिन्न व्यवसायों जैसे बढईगिरी, लुहारगिरी कारीगर, बिजली का काम, टी वी, फिज रिपेयर, कम्प्यूटर, वस्त्रें की सिलाई आदि व्यवसायों का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण की अवधि कम से कम 300 घंटे एवं प्रति प्रशिक्षणार्थी 2000 रूपये व्यय का प्रावधान है। इसमें प्रशिक्षणार्थी को वजीफा, सामाग्री लागत एवं अन्य प्रद्दिक्षण व्यय की राशि सम्मिलित है। प्रशिक्षण के उपरांत 600 रूपये तक का एक किट देने को भी प्रावधान योजनाओं में है।
		1– **शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम** **(स) बचत व साख समिति** – इसके अन्तर्गत शहरी गरीब महिलाओं मे बचत की आदत डालने के उद्देश्य से स्वयं सहायता समूह का गठन का प्रावधान है। इस प्रकार बनी स्वयं सहायता समूह बचत द्वारा एकत्रित धन राशि को बैंक में जमा कराकर उस राशि में से अपनी छोटी–छोटी आवश्यकता हेतु ऋण ले सकती है। यदि ये महिला स्वयं सहायता समूह एक साल तक सफलतापूर्वक अपना पैसा बैक में जमा करवा कर आपस मे रूपयों का लेन–देन करते हैं तो इन समूहों को बचत व साख समिति मे परिवर्तित कर प्रति महीना 1000 रूपयों की दर से (अधिकतम 25000 रूपये) अनुदान के रूप मे रिवोल्विंग फण्ड दिये जाने का प्रावधान है। **(द) शहरी क्षेत्रें मे महिला एवं बच्चों का विकास कार्यक्रम** – इसका मुख्य उद्देश्य शहरी गरीब महिलाओं को किसी व्यवसाय/कौशल में प्रशिक्षण देकर आर्थिक लाभकारी परियोजनायें बनाने हेतु प्रेरित करना है। इस कार्यक्रम मे कम से कम 10 अथवा अधिक से अधिक महिलाओं के समूह को 25 लाख रूपये तक की परियोजना लागत के अनुसार ऋण व अनुदान का प्रावधान है। इसमे परियोजना लागत का 50 प्रतिशत (अधिकतम 1, 25,000 रूपये) तक अनुदान का प्रावधान है। **(य) सामुदायिक संरचना** – इस घटक में उपलब्ध कराई गई राशि से समुदाय को साशक्त करने के साथ–साथ चिकित्सा शिविर, अनौपचारिक शिक्षा एवं जन चेतना शिविर भी आयोजित किये जाते है।